# आदेश

अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1402/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०दून/वन भूमि/दिनांक 17.12.2014 के द्वारा जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादराबाद में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य गैंडीखाता से नौरंगाबाद में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु दोगुने क्षेत्रफल (3.026है०) की सिविल भूमि डी०एफ०ओ० वन विभाग, हरिद्वार को उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी, हरिद्वार से प्राप्त आख्या सं०–935/एस०टी०–2015 दिनांक 10.02.2015 के अनुसार भू०प्र०स० गैंडीखाता परगना नजीबाबाद तहसील व जिला हरिद्वार के प्रस्ताव दिनांक 08.02.2015 के द्वारा बरोचन्दपुर के ख०नं०–18/3म रकबा 0.177है०, ख०नं०–26/2 रकबा 1.681है० कुल 02 किते क्षे०–1.858है० बंजर श्रेणी 5(3)(ड) ग्राम सभा भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सड़क निर्माण ग्राम गैण्डीखाता से ग्राम नौरंगाबाद में वन विभाग को भूमि दिये जाने हेतु प्रस्तावित की गई। उपरोक्त भूमि के अलावा ग्राम सभा गैण्डीखाता में वन विभाग को भूमि दिये जाने हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम सभा गैण्डीखाता से निकटवर्ती ग्राम सभा दूधलादयालवाला ख०सं०–369ग में रकबई 1.1348है० बंजर भूमि श्रेणी 5(3)(ड) ग्राम सभा भू०प्र०सं० दूधलादयालवाल के प्रस्ताव दिनांक 08.02.2015 के द्वारा पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सड़क निर्माण ग्राम गैण्डीखाता से ग्राम नौरंगाबाद में वन विभाग को भूमि दिये जाने हेतु प्रस्तावित की गई। इस प्रकार उपरोक्त ग्राम सभाओं में उपलब्ध भूमि वन विभाग हरिद्वार को दिये जाने हेतु प्रस्तावित की गई। जिसका प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र संख्या–1410/जि०भू०व्य०रा०हा०/2014 दिनांक 13.02.2015 के द्वारा राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया।

प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्र संख्या–08बी/यू०सी०पी०/06/227/2016/एफ०सी०/2301 दिनांक 27.02.2019 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गैंडीखाता से नौरंगाबाद मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.603है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः वन विभाग की 1.603है० प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ग्राम बरोचन्दपुर के ख०नं०–18/3म रकबा 0.177है०, ख०नं०–26/2 रकबा 1.681है० कुल 02 किते क्षे०–1.858है० एवं ग्राम सभा दूधलादयालवाला ख०सं०–369ग में रकबा 1.1348है० भूमि हरिद्वार,वन प्रभाग हरिद्वार के पक्ष में हस्तान्तरित की जाती है।

(विनय शंकर पाण्डेय)
कलेक्टर
हरिद्वार।

प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि हरिद्वार
पंजीका 4116 3
पत्रांक 12-1
दिनांक – 7-12-21

कार्यालय जिलाधिकारी/कलेक्टर, हरिद्वार।

दिनांकः–02–12–2021

संख्याः– 205 /जि०भू०व्य०रा०हा०–2021।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1– सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सचिव, (वन) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, सिंचाई खण्ड, देहरादून
6– उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।
7– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, हरिद्वार।
8– कार्यालय प्रति।

2/12/21
कलेक्टर,
हरिद्वार।

NOTE : डाटा उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित होने तक प्रतीक्षा करें|

ग्राम का नाम : दूधलादयालवाला    परगना : (नजीबाबाद)    तहसील : हरिद्वार    जनपद : हरिद्वार    फसली वर्ष : 1427-1432    भाग : 1    खाता संख्या : 00224

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सभी विल्लंगमों और प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से मुक्त रूप में प्रदत्त करते हुए जिनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन अनापत्ति इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट के सिवाय वन भूमि में अपयोजन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य और प्रतिकरात्मक वन रोपण का संदाय करने की अपेक्षा सम्मिलित़ है, जपपद ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-74 के 239 कि0मी0 (सिरसामोड) कैम्प रोड से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग निर्माण के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम दूधलादयालवाला परगना नजीवाबाद में खसरा सं0 370 क्षेत्र0 24.042है0 बंजर भूमि को जनहित में विकास कार्यो के लिए पुनर्ग्रणय कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण को राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। ह0र0का0/26.04.2018<br><br>1429फ0 कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्र सं0 107/ जि0भू0व्य0सहा0-2021 दिनांक 07.10.2021 के साथ संलग्न कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार के पत्रांक 1509/12-1, हरिद्वार दिनांक 15 सितम्बर 2021 पर पारित तहसीलदार हरिद्वार के आदेश दिनांक 26 10.2021 के द्वारा वन प्रभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि बसोचन्दपुर के खसरा नं0 18/3म रकबा 0.1770है0 खसरा नं0 26/2 रकबा 1.6810है0 कुल 2 किते क्षेत्रफल 1.8580है0 बंजर श्रेणी 5(3)(ड) ग्राम सभा भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सडक निर्माण व ग्राम गैण्डीखाता से ग्राम नौरगांबाद में वन विभाग को भूमि दिए जाने हेतु प्रस्तावित की गई है उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त ग्राम सभा गैण्डीखाता से निकटवर्ती ग्राम सभा दुधलादयालवाला खसरा सं0 369ग में रकबई 1.1348है0 बंजर भूमि श्रेणी 5(3)(ड) वन विभाग को दिए जाने हेतु प्रस्तावित की गई है ह0र0का0/27.10.2021 | |
| योग | | 17 | 31.4810 | | |

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Data Updated Upto: Tue Jan 18 16:22:18 IST 2022

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttrakhand)

Digital India
Power To Empower